

21/01/25

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली के अनवान के अनुसार तीन बार अर्जाएँ लगाई जाने के बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैसेवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली